

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन भोपाल

कं/आई.डी.एस.पी./2020/ 376

भोपाल दिनांक 09/04/2020


10/04/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।
3. अधिष्ठता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय:- कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत मृत शरीर का अंतिम संस्कार मृत स्थान शहरी की सीमा में ही किया जाना होगा, जिससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकें। किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले/गृह जिले/शहरी सीमा जहाँ संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बाहर ले जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की जाए।


(फैजि अहमद किदवाई)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कं/आई.डी.एस.पी./2020/ 397

भोपाल दिनांक 09/04/2020

10/04/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त जनसंपर्क विभाग भोपाल मध्यप्रदेश कृपया मिडिया में प्रसारित करने का कष्ट करें
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त, नगर निगम/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।


आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग